भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 510

उत्तर देने की तारीख: 03.02.2026

प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

510. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में सिविल सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और अन्य परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पहल के तहत कवर किए गए छात्रों की संख्या और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की श्रेणियां क्या हैं;

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों का चयन और उनकी सहायता किस प्रकार की जानी है; और

(घ) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देने में इस पहल के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम और इस संबंध में भविष्य की योजना क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सिविल सेवा परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) परीक्षा और बैंकिंग परीक्षा के लिए ओडिशा राज्य सहित पूरे भारत के अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और पीएम-केयर्स चिल्ड्रन के लाभार्थियों के 5000 उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फिजिक्स वाला (पीडब्ल्यू) फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किसी भी संगठन के साथ ऐसे किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग): इस पहल के तहत लाभार्थियों का चयन एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जाता है, जिसमें नि:शुल्क सुव्यवस्थित ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सुविधा सहित लाइव/रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, पिछले वर्ष के प्रश्न-पत्र, अध्ययन सामग्री, मेंटरशिप, शंका समाधान सहायता (डाउट सॉल्विंग सपोर्ट) और काउंसलिंग शामिल हैं।

(घ): इस पहल से लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध होगी जिससे वे रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे।

*****